

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2016/माघ 9, 1937

No. 73]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2016/MAGHA 9, 1937

**कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2016

**सा.का. नि. 130(अ).—** केंद्रीय सरकार, केंद्रीय शिक्षता परिषद् के साथ परामर्श से, शिक्षा अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उप-धारा (1क) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिक्षता नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम शिक्षता (संशोधन) नियम, 2016 है।  
(2) ये 1 सितम्बर, 2015 को प्रवृत्त होंगे।
2. शिक्षता नियम 1992 की अनुसूची-1 में-
  - (i) “होटल एवं कैटरिंग व्यवसाय समूह” से संबंधित समूह संख्या 15 में, क्रम संख्या 9 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-  
“10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य”;
  - (ii) “कटिंग एंड टेलरिंग व्यवसाय समूह” से संबंधित समूह संख्या 19 में, क्रम संख्या 8 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-  
“10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य”;
  - (iii) “कृषि व्यवसाय समूह” से संबंधित समूह संख्या 20 में, क्रम संख्या 6 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-  
“10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य”;

- (iv) “कम्प्यूटर व्यवसाय समूह” से संबंधित समूह संख्या 29 में, \_
- क) क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-  
“10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य”;
- ख) क्रम संख्या 4 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-  
“10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य”;
- “बहु कौशल व्यवसाय समूह” से संबंधित समूह संख्या 31 में, क्रम संख्या 8 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-  
“10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य”;
- (v) “आतिथ्य व्यवसाय समूह” से संबंधित समूह संख्या 36 में,
- क) क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-  
“10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य”;
- ख) क्रम संख्या 5 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-  
“10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य”;
- (vi) “कार्यालय प्रबंधन व्यवसाय समूह” से संबंधित समूह संख्या 37 में,
- क) क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-  
“10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य”;
- ख) क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-  
“10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य”;
- (vii) “स्वास्थ्य सहायित व्यवसाय समूह” से संबंधित समूह संख्या 38 में,
- क) क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-  
“10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य”;
- ख) क्रम संख्या 3 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-  
“10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य”;
- (viii) “पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान व्यापार समूह”, से संबंधित समूह संख्या 39 में, क्रम संख्या 1 के स्थान पर स्तंभ 8 में प्रविष्टियों हेतु, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-  
“10 वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य”;

[सं. एमएसडीई-2(5)/2015-एपी]

राजेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव

**टिप्पणः-** मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) तारीख 1 अगस्त, 1992, में, सा.का.नि. संख्यांक 356, तारीख 15 जुलाई 1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम संशोधन सा.का.नि. संख्यांक 502 (अ) तारीख 16 जून 2015 द्वारा किया गया था।

## MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2016

**G.S.R. 130(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (1A) of section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely: —

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of September, 2015.
2. In Schedule-I to the Apprenticeship Rules 1992 -
  - (i) in group number 15, relating to the “Hotel and Catering Trades Group:”, against serial number 9, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-  
“Passed 10th class examination or its equivalent”;
  - (ii) in group number 19, relating to the “Cutting and Tailoring Trades Group:”, against serial number 8, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-  
“Passed 10th class examination or its equivalent”;
  - (iii) in group number 20, relating to the “Agriculture Trades Group:”, against serial number 6, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-  
“Passed 10th class examination or its equivalent”;
  - (iv) in group number 29, relating to the “Computer Trades Group”, -
    - a) against serial number 1, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-  
“Passed 10th class examination or its equivalent”;
    - b) against serial number 4, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-  
“Passed 10th class examination or its equivalent”;
  - (v) in group number 31, relating to the “Multi Skill Trades Group:”, against serial number 8, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-  
“Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent”;
  - (vi) in group number 36, relating to the “Hospitality Trades Group”, -
    - a) against serial number 1, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-  
“Passed 10th class examination or its equivalent”;
    - b) against serial number 5, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-  
“Passed 10th class examination or its equivalent”;
  - (vii) in group number 37, relating to the “Office Management Trades Group”, -
    - a) against serial number 1, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-  
“Passed 10th class examination or its equivalent”;
    - b) against serial number 2, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-  
“Passed 10th class examination or its equivalent”;
  - (viii) in group number 38, relating to the “Health Allied Trades Group”, -
    - a) against serial number 2, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted;  
“Passed 10th class examination or its equivalent”;

- b) against serial number 3, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-  
“Passed 10th class examination or its equivalent”;
- (ix) in group number 39, relating to the “Library and Information Science Trades Group:”, against serial number 1, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-  
“Passed 10th class examination or its equivalent”.

[No. MSDE-2(5)/2015-AP]  
RAJESH AGRAWAL, Jt. Secy .

**Note:** — The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, section 3, Sub-section (i), dated the 1<sup>st</sup> August, 1992 *vide* number G.S.R. 356, dated the 15<sup>th</sup> July, 1992 and last amended *vide* number G.S.R. 502(E), dated the 16<sup>th</sup> June, 2015.